तृतीय खण्ड

निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण

अध्याय : 10

शोध की उपलब्धियाँ

शोध की उपलब्धियाँ

निष्कर्ष

बाल श्रमिकों की वैयक्तिक पृष्ठभूमि शैली के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश (34.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की आयु 11–12 वर्ष है। अधिकांश उत्तरदाता हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं। अधिकांश (53.67 प्रतिशत) उत्तरदाता पिछड़ी जाति के सदस्य हैं। अधिकांश (57.00 प्रतिशत) उत्तरदाता निरक्षर हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार पढ़ाई न करने व छोड़ने का कारण स्वयं की अरुचि है। अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार पढ़ाई का मौका मिलने पर पढ़ना चाहेंगे। अधिकांश उत्तरदाता (70.00 प्रतिशत) नगरीय पृष्ठभूमि के हैं। अधिकांश (58.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को मनोरंजन के लिए समय नहीं मिलता है। अधिकांश उत्तरदाता ख़ेलकर अपना मनोरंजन करते है। अधिकांश (54.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की भाषा हिन्दी है।

परिवार की प्रकति एवं सम्बन्धों के प्रतिमान के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश (80.00 प्रतिशत) बाल श्रमिक एकाकी परिवार से सम्बद्ध है। अधिकांश (38.00 प्रतिशत) बाल श्रमिकों की माताएँ अशिक्षित हैं। अधिकांश 47.66 प्रतिशत उत्तरदाता

के पिता अशिक्षित है अधिकांश (36.00) उत्तरदाताओं के परिवार का पैतृक व्यवसाय मजदूरी है। अधिकांश (34.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के परिवार में कमाने वालों की संख्या 3 है। अधिकांश (49.33) उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय 1501–2000 रुपये है। अधिकांश (40.00 प्रतिशत) उत्तरदाता स्वयं की आय माता–पिता को प्रदान करते हैं। अधिकांश (64.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के आवास का स्वरूप कच्चा–पक्का अर्द्धमिश्रित है। अधिकांश (62.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के प्रकाश के लिए विद्युत की व्यवस्था है। अधिकांश (45.00 प्रतिशत) उत्तरदाता पेयजल के लिए नगरपालिका के नल का इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश (82.00 प्रतिशत) उत्तरदाता शौच के लिए खुले स्थान का प्रयोग करते हैं। अधिकांश (51.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों के मध्य झगड़े नहीं होते हैं। यहाँ हमारी उपकल्पना' बाल श्रमिकों के परिवार में आपसी झगड़े होते रहते हैं' आंशिक रूप से प्रामाणिक सिद्ध होती है। अधिकांश (56.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्य गाली (अपशब्द) का प्रयोग करते हैं।

रोजगार की प्रकृति और कार्य के स्वरूप के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश (80.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनके रोजगार का स्वरूप अस्थायी हैं। यहाँ हमारी उपकल्पना 'बाल श्रमिकों का कार्य अस्थाई प्रकृति का है', प्रामाणिक

सिद्ध होती है।अधिकांश (63.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अधिकांश (99.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार वे निर्धनता के कारण श्रम करते हैं। यहाँ हमारी उपकल्पना 'बाल–श्रमिक अधिकांशतः अशिक्षित एवं कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार से सम्बन्धित होते हैं।' प्रामाणिक सिद्ध होती है। अधिकांश (36.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको श्रम की अभिप्रेरणा उनको माता–पिता से मिली। अधिकांश (47.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार वे 3 से 6 घण्टे तक कार्य करते है। अधिकांश (70.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार वे एक से अधिक जगह काम नहीं करते है। अधिकांश (75.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार वे कार्य मजबूरीवश करते है। अधिकांश (75.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार वे कार्य मजबूरीवश करते है। अधिकांश (58.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको कार्य न करने की दशा में परिवार द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाता है।

कार्य की दशाएँ और संतुष्टि के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश (65.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार मालिक नहीं मारते–पिटते हैं। अधिकांश (58.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार आपके कार्यस्थल पर प्रकाश की व्यवस्था रहती है। अधिकांश (80.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनके

कार्यस्थल पर काम के घण्टे निर्धारित हैं। अधिकांश (77.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको कार्यस्थल पर भोजनादि के लिए पर्याप्त समय मिलता है। अधिकांश (60.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनका कार्यस्थल धुँआरहित नहीं रहता है। अधिकांश (59. 00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको समय से नहीं पारिश्रमिक मिलता है। अधिकांश (71.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको विश्राम के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। अधिकांश (61.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनके कार्यस्थल पर मनोरंजन की सुविधा नहीं है। अधिकांश (60.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको अस्वस्थ रहने पर छुट्टी नहीं मिलती है। अधिकांश (65.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको चिकित्सा के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता है। अधिकांश (75.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको साप्ताहिक एवं सार्वजनिक छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। अधिकांश (78.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको छुट्टियों का वेतन नहीं मिलता है। यहाँ हमारी उपकल्पना 'आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण के शिकार होते हैं', प्रामाणिक सिद्ध होती है। अधिकांश (73.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनके कार्यस्थल पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। अधिकांश (51.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार वे अपने कार्य से संतुष्ट हैं। अधिकांश (62.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के

अनुसार भविष्य में भी यही कार्य नहीं करना चाहेंगे। अधिकांश (89.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार वे अपने कार्य थकान महसूस करते हैं। यहाँ हमारी उपकल्पना 'बाल श्रमिकों की कार्यदशाएँ असंतोषप्रद हैं' प्रामाणिक सिद्ध होती है।

राजकीय प्रयत्न और सुविधाओं की प्राप्ति के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश (55.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी नहीं है। यहाँ हमारी उपकल्पना 'बाल श्रमिकों को राजकीय प्रयत्न और सुविधाओं की जानकारी नहीं है' प्रामाणिक सिद्ध होती है। अधिकांश (58.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको बाल श्रम के सम्बन्ध में बने कानूनों के विषय में जानकारी नहीं है। अधिकांश (95.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। अधिकांश (57.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने रोगों से बचाव के टीके नहीं लगवाए हैं। अधिकांश (88.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार वे अपने स्वास्थ की नियमित जाँच नहीं करवाते हैं। अधिकांश (86.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार श्रम छोड़कर शिक्षा के लिए कभी किसी व्यक्ति या संस्था ने प्रेरित नहीं किया है। अधिकांश (80.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने अपने श्रम के विषय में कभी किसी से भी शिकायत नहीं की है।

अधिनियमों एवं राजकीय प्रयत्नों के प्रति चेतना के प्रति निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश (67.00 प्रतिशत) उत्तरदाता समाचार–पत्र नहीं पढ़ते हैं। अधिकांश (51.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार वे कभी भी रेडियो/टी.वी. पर समाचार सुनते व देखते नहीं हैं। अधिकांश (73.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने कभी बाल श्रम के विषय में कोई सूचना सुनी व पढ़ी नहीं है। अधिकांश (66.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार मालूम है कि बाल मजदूरी अपराध है। अधिकांश (86.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको विद्यालय जाने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था ने कभी प्रेरित नहीं किया है। अधिकांश (66.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा कभी उनसे पूछताछ नहीं की गयी है। अधिकांश (60.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार बाल श्रम के लिए सरकार की ओर से शिक्षा आदि की व्यवस्था की गयी है, इसकी जानकारी है। अधिकांश (63.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको आपको सरकार द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच मिलने की जानकारी है। अधिकांश (77.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है, इसकी जानकारी नहीं है। अधिकांश (80.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार अनाथ एवं निराश्रित बालकों के लिए सरकार द्वारा संरक्षागृह बनाये गये हैं, इसकी जानकारी नहीं है।

अधिकांश (87.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार सरकार द्वारा मदद मिलने पर वे श्रम करना छोड़ देंगे।

सामान्यीकरण

असंगठित क्षेत्र में संवैधानिक एवं कानूनी हस्तक्षेप के बावजूद व्यवहारिक दृष्टि से बाल–श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। संगठित. क्षेत्रों में तो बाल श्रम सीमित हुआ है परन्तु असंगठित क्षेत्र में इसकी सम्बद्धता विकसित अवस्था में ही है। वर्तमान में नये कानून से कुछ रोक लगने की सम्भावना बढ़ी है। फिर भी आज भारत में अनेक बच्चे घरों, चाय की दुकानों, छोटे–छोटे होटलों, मोटर गैराजों, हलवाई की दुकानों, बीड़ी एवं अगरबत्ती के उद्योगों, व्यवसायिक दुकानों आदि पर इनकी उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। सरकार इस ओर सचेष्ट है और बाल–श्रमिकों के उत्थान में अपना पूर्ण सहयोग दे रही है। बाल श्रमिकों की शिक्षा, भोजन, मनोरंजन आदि की व्यवस्था उसके द्वारा की जा रही है। बाल श्रम आज गरीब एवं निराश्रित परिवारों की मजबूरी है। इसके निराकरण के लिए बाल श्रमिकों के साथ–साथ उनके परिवारों के उत्थान को भी दृष्टिगत रखकर नीतियों का निर्माण किया जाय तो निःसन्देह इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है।